

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्रा

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 285]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 17 मई 2010—वैशाख 27, शक 1932

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 17 मई 2010

क्र. डी-15-10-2008-चौदह-3.—शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर “गेहूँ” की खरीदी का अधिक से अधिक लाभ कृषकों को दिये जाने के उद्देश्य से “गेहूँ” के उपार्जन के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य पर राज्य शासन के द्वारा प्रोत्साहन राशि (बोनस) घोषित की गई है.

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) एवं (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए नियुक्त संस्था अथवा ऐसी संस्था के द्वारा नियुक्त एजेन्सी के माध्यम से “गेहूँ” का समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की स्थिति में राज्य शासन के द्वारा वर्ष 2010 में घोषित प्रोत्साहन राशि (बोनस) पर देय मंडी फीस से छूट देता है.

परन्तु मण्डी फीस में यह छूट केवल राज्य शासन के द्वारा वर्ष 2010, हेतु घोषित प्रोत्साहन राशि (बोनस) पर देय होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2010

क्र. डी-15-10-2008-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

Bhopal, the 17th May 2010

No. D-15-10-2008-XIV-3.—On "wheat" procurement to maximize the benefit of minimum Support price to the farmer, the State Government has declared Bonus in addition to the minimum Support price.

In exercise to the power conferred by sub-section (1) & (2) of the Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of the year 1973) the State Government hereby, exempt the Organisation (S) appointed for the procurement of "Wheat" On minimum Support price and or the Agency (S) appointed by the Said Organisation for the purpose, from payment of Mandi fee, payable on the said Bonus declared by the state Government for the year 2010:

Provided that the above exemption in payment of Mandi Fee shall be only on the Bonus declared by the State Government for the year 2010.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
B. S. BAGHEL, Addl. Secy.